न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 28 / 2026	2026 / 34	09.04.2026	29.04.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. इंसार अहमद पुत्र जलालुद्दीन, निवासी कटोरी वाला तिबारा, अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. प्रवर्तन अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि।
2. आसिफ अली – अप्रार्थी अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 13.03.2026 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु इंसार अहमद पुत्र जलालुद्दीन, निवासी कटोरी वाला तिबारा, अलवर के कटोरी वाला तिबारा, अलवर स्थित अपना स्वीट्स एंड नमकीन की दुकान् पर पहुंचा। मौके पर इंसार अहमद पुत्र जलालुद्दीन उपस्थित मिले। इंसार अहमद पुत्र जलालुद्दीन की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले।

इंसार अहमद पुत्र जलालुद्दीन द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इंसार अहमद पुत्र जलालुद्दीन द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० चिकानी इंडेन चिकानी, अलवर के प्रतिनिधि श्री सोनू प्रजापत पुत्र श्री नारायण लाल, ग्राम नाहरपुरकलां, नगरपालिका बहादुरपुर, अलवर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 13.03.2026 को श्रीमान जिला रसीद अधिकारी के निर्देशानुसार मिन प्रार्थी के कटोरीवाला तिबारा स्थित प्रतिष्ठान पर जो 03 घरेलू सिलैण्डर जब्त किये गये थे, वह मिन प्रार्थी का चचेरा भाई शौकीन व बरकत के नाम से हैं। उक्त 03 घरेलू सिलैण्डरों का मिन प्रार्थी द्वारा कोई अवैध संग्रहण नहीं किया गया, बल्कि मिन प्रार्थी की जनरल स्टोर की दुकान है, तथा मिन प्रार्थी की दुकान के पीछे ही मिन प्रार्थी व उसके चाचा, ताउ का घर है, तथा मिन प्रार्थी, उसके ताउ व चाचा सब एक साथ ही रहते हैं, उक्त तीनों सिलैण्डरों को मिन प्रार्थी के ताउ के लडकों द्वारा प्रार्थी की दुकान पर रखा हुआ था, जिन्हें अवैध संग्रहण करने के आरोप में राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है। जिस संबंध में मिन प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को भी निवेदन किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

गया था। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के जवाब में वर्णित तथ्यों पर गौर करते हुये प्रार्थी को उक्त तीनों सिलैण्डरों को सुपुर्द करने की कृपा करें, तथा प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार वक्त निरीक्षण के समय व्यावसायिक परिसर अपना स्वीट्स एंड नमकीन में घरेलू सिलेण्डरों अवैध रूप से संग्रहित मिले। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच उक्त घरेलू सिलेण्डरों को दुकान अपना स्वीट्स एंड नमकीन पर रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी का यह तर्क कि घर पीछे होने के कारण सिलेण्डर दुकान में रखे थे, विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। विधिक रूप से घरेलू सिलेण्डर केवल उपभोक्ता के पंजीकृत पते या रसोई में होने चाहिए। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है और न ही वह निरीक्षण के समय पाए गए उल्लंघन का कोई ठोस विधिक आधार प्रस्तुत कर पाए हैं। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

- निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)